

FORM No. III

- फर्द अहकाम


(नियम 26)

न्यायालय अति० जिला कलक्टर, भीलवाडा

ओमप्रकाश पुत्र गंगाधर तिवाड़ी निवासी चैनपुरा तहसील बदनोर जिला भीलवाडा हा.मु. शिवनगर पुलिस लाईन के पीछे, भीलवाडा	बनाम	जीवण लाल पुत्र गंगाधर तिवाड़ी निवासी जयपुर रोड विनायक विहार कॉलोनी, भूणा भाई, जयपुर व अन्य
- अपीलार्थी/प्रार्थी		-रेस्पोंडेंट/विपक्षी

प्रकरण संख्या 13/2022 विविध प्रा.पत्र

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामी में जारी हुए
17.02.2022	<p>प्रार्थी द्वारा प्रकरण संख्या 82/2018 अपील में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 व धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण संख्या 82/2018 में वक्त तारीख पेशी पर नजदीकी रिश्तेदार में गमी होने जाने से बाहर गया हुआ था। इसके पश्चात् मामले में जानकारी की तो तारीख पेशी का पता नहीं चल पाया। उसके पश्चात् 02 बार कोविड - 19 के कारण लॉक डाउन होने से न्यायिक कार्य स्थगित हो गया था। इसलिए तारीख पेशी की सही जानकारी नहीं हो सकी। प्रकरण संख्या 82/2018 में पेशी दिनांक 18.10.2019 को प्रकरण वास्ते तामिल हेतु नियत था व तामिल के प्रकरण में उपस्थिति अनिवार्य नहीं होती हैं व प्रकरण अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य हैं। प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण संख्या 82/2018 अपील ओमप्रकाश बनाम जीवण लाल को पुनः नम्बर पर लिया जाकर सुना जाने का आदेश प्रदान करावें।</p> <p>प्रार्थी अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्याय हित में प्रकरण में सुनवायी कर प्रकरण में गुणावगुण निर्णय किये जाने हेतु प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 व धारा 151 जा.दी. स्वीकार किया जाता हैं। मूल प्रकरण संख्या 82/2018 को पुनः नम्बर पर लिया जाकर बाज दायर कर विपक्षीगणों को तलबी नोटिस जारी करें।</p>	


अति० जिला कलक्टर
भीलवाडा